छात्रवृत्ति एवं शुल्क वापसी

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑन लाइन आवेदन किया जाना : 08 जुलाई से 07 नवम्बर 2024 तक

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शासन से प्राप्त नियमों के आधार पर विभिन्न छात्रवृत्तियॉ एवं शुल्क वापिसी की व्यवस्था की जाती है। विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण की प्रकिया हेतु एक छात्रवृत्ति समिति है, जिसमें एक छात्र/छात्रा कल्याण अधिष्ठाता और कुछ शिक्षक सदस्य होते हैं।

छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन ऑन लाइन करना होगा। ऑन लाइन आवेदन पत्र की दो प्रतियॉ (हार्ड कॉपी) के साथ छात्र/छात्रा को अपने परिवार की आय का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, पहचान पत्र तथा प्रवेश शुल्क रसीद संलग्न कर महाविद्यालय में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा।

वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु https//scholarship.up.nic.in पर समय –समय पर सर्च करें।

(क) **उत्तर प्रदेश दशमोत्तर छात्रवृत्ति :**

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन वेबसाइट www.scholarship.up.nic.in पर ऑन लाइन पंजीकरण तथा आवेदन, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक करना आवश्यक है।

1– **उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति :**

समाज कल्याण उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के जिन छात्र/छात्राओं के माता–पिता की वार्षिक आय रू0 दो लाख मात्र तक है, उन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं नान रिफेण्डेबुल पूर्ण प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति (वापिसी) की सुविधा प्राप्त है।केवल वे ही उम्मीदवार इसके पात्र होगें, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात स्थायी निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हो।

2–**उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक समुदाय दशमोत्तर छात्रवृत्ति :**

समाज कल्याण उ0प्र0 शासन द्वारा दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय (अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग) के निर्धन छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 दो लाख मात्र तक है, उन छात्र/छात्राओं को शासकीय दरों पर छात्रवृत्ति एवं नान रिफेण्डेबुल प्रवेश शुल्क की वापिसी की सुविधा प्राप्त है।

3–**उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति** :

समाज कल्याण उ0प्र0 शासन द्वारा सामान्य वर्ग (हिन्दू सामान्य) के निर्धन छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू0 दो लाख मात्र तक है, उन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शासकीय दरों पर प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त है।

4–उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर)दशमोत्तर छात्रवृत्ति :

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के सभी छात्र/छात्राओं को सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं की भॉति उन्ही शर्तों एवं शासकीय दरों पर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क की पतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त है। केवल वे ही उम्मीदवार प्रात्र होगें जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात स्थायी निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) से संबन्धित हो।

(ख) **अल्पसंख्यक समुदाय–पोस्ट मैट्रिक भारत सरकार छात्रवृत्ति :**

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन वेबसाइट National Scholarship Portal (scholarships.gov.in) पर ऑन लाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक करना होगा। भारत सरकार द्वारा दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावको की वार्षिक आय रू0 दो लाख मात्र तक है तथा पिछले शैक्षिक योग्यता में 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक है, उन छात्र/छात्राओं को भारत सरकार की दरों पर छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क की वापिसी की सुविधा है।